बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 07/04/26

संचिका संख्या–07/मु0–01–29/2026...1215.../यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा याचिका सं0–18781/2025 नेहा कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–20.11.2025 को पारित आदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

2. याचिका सं0–18781/2025 नेहा कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–20.11.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

> ***"...Considering the limited nature of prayer being made by learned counsel for the petitioner, this writ application is disposed of granting liberty to the petitioner to file a detail representation before the Addl. Chief Secretary, Department of Education, Govt. of Bihar, (respondent No.2) within one month from today and if such a representation is filed, the respondent No.2, i.e., Addl. Chief Secretary, Department of Education, Govt. of Bihar, shall decide the said representation on merit after giving an opportunity of hearing to the petitioner by passing a reasoned and speaking order.***
>
> ***6. The entire exercise must be completed by respondent No.2, Addl. Chief Secretary, Department of Education, Govt. of Bihar within a period of six months from the date of filing of the representation by the petitioner.***
>
> ***7. It is also made clear that if the petitioner is found entitled to the relief then the relief should be granted within a further period of three months from the date of passing of the final order.***
>
> ***8. With the aforesaid observation/direction and liberty granted, the present writ application stands disposed of.***
>
> ***9. All pending I.A.s, if any, is deemed to have been disposed of...."***

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता द्वारा विभाग को अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। समर्पित अभ्यावेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक–924 दिनांक– 25.02.2026, पत्रांक–951 दिनांक–27.02.2026 एवं पत्रांक–1067 दिनांक–17.03.2026 द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई के क्रम में वस्तुस्थिति रखने का अवसर दिया गया। सुनवाई में याचिकाकर्त्ता उपस्थित रही।

4. याचिकाकर्त्ता का कथन है कि उनका चयन बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा जारी विज्ञापंन संख्या–22/2024 के तहत हुई है। चयन के उपरांत उन्हे गोपालगंज जिला आवंटित हुआ। चयनित अभ्यर्थी द्वारा NIOS से 18 माह का डी0एल0एड0 कोर्स करने के कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा काउंसिलिग के दौरान Doubtful कर दिया गया।

5. अंकनीय है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 के कंडिका–2 के उप कंडिका–B (iv) के नोट मे यह उल्लेख किया गया है कि शिक्षा विभाग, बिहार के पत्राक–2223, दिनांक 07.12.2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के D.EL.Ed की उपाधि मान्य नहीं होगी।

अतः उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में वादी के दावे पर विचार करते हुए इनके दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है।

Rajendra 6.4.2026

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–07/मु0–01–29/2026. 1214 पटना, दिनांकः–07/04/26

प्रतिलिपिः– 1. Neha Kumari Daughter of Sanjay kumar, W/O Dipak Kumar, Village-Gopalbari, Post Office Masharakh, Police Station- Masharakh, District- Saran, Bihar, Pin 841417.को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3. श्री रवि शंकर सिंह, अपर राज्य परियोजना निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajiv 6.4.2026

अपर मुख्य सचिव